

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या-1732/नौ-1-2016-48टी(152)/97
लखनऊ : दिनांक 7 अक्टूबर, 2016
अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत गौरी बाजार, जिला देवरिया के सांक्रांतिक क्षेत्र में सम्मिलित करने के संबंध में जनसामान्य से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों की दृष्टि से अधिसूचना संख्या-1426/9-1-16-48टी.(152)/97, दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को जारी और दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और, चूंकि, सरकारी अधिसूचना संख्या-1426/9-1-16-48टी.(152)/97, दिनांक 22 अप्रैल, 2016 के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का शासनादेश संख्या 1332(1)/9-1-16-48टी.(152)/97, दिनांक 20 जून, 2016 द्वारा निस्तारण किया गया;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) की धारा-3 की उपधारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-10898/9-1-77/48टी (1)/77, दिनांक 7 दिसम्बर, 1977 और समय-समय पर इस निमित्त जारी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचना का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल, संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत गौरी बाजार, जिला देवरिया के सांक्रांतिक क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं:-

अनुसूची

पूर्व गाटा संख्या	ग्राम अतरडीहा के 144, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182
पश्चिम गाटा संख्या	ग्राम अतरडीहा के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 208, 209, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 227
उत्तर गाटा संख्या	ग्राम अतरडीहा के 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134

दक्षिण
गाटा
संख्या

ग्राम रामपुर के 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385,
386, 387, 388, 389, 390, 400, 401, 402, 403, 405, 406, 407,
408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419,
420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431,
432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443,
444, 445, 446, 769/794, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737,
738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749,
750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761,
762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773,
774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785,
786, 787, 788, 789

दक्षिण
पूर्व
गाटा
संख्या

ग्राम रामपुर के 604, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 622, 623,
624, 625, 626, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 688, 689, 687,
703, 704, 705, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716,
717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728,
729, 730, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636,
637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648,
649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 657, 658, 659, 660, 661,
662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673,
674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685,
686

दक्षिण
पश्चिम
गाटा
संख्या

ग्राम रामपुर के 212, 213, 214, 215, 216, 217, 292, 293, 294,
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306,
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318,
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330,
331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342,
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354,
355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366,
367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 281/793,
260, 261, 262, 263, 264, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273,
274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 290, 291

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव।

संख्या-1732 (1)/9-1-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अतिरिक्त तथा एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 एण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50-50प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करे।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1732 (2)/9.1.2016 तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- (1) आयुक्त, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।
- (2) जिलाधिकारी, देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
- (5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
- (6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
- (7) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।